



हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड



औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही योजनाएं व गतिविधियाँ

- 1 साईकिल योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में पुरुष एवं महिला श्रमिकों को साईकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 2 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 20000 तक वित्तीय लाभ-5000रु
- 2 सिलाई मशीन योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में महिला श्रमिकों के घरेलू उपयोग हेतु सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 2 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 20000 तक वित्तीय लाभ-4500रु
- 3 एल. टी. डी. योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों को भ्रमण हेतु 5 वर्ष की सर्विस उपरांत प्रत्येक ब्लॉक वर्ष में एल.टी.डी. की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है
सेवा अवधि : 5 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 20000 तक वित्तीय लाभ-1500रु
- 4 छात्रवृत्ति योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की वित्तीय सहायता दी जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 (कक्षा 9वीं से प्रारम्भ) वित्तीय लाभ- 10000 रु से 21000 रु तक
- 5 स्कूल की वर्दी, किताबें, कापियां योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है
सेवा अवधि : 2 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक (पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक) वित्तीय लाभ- 3000 रु से 4000 रु तक
- 6 परीक्षाओं की कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता** - इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक कोर्स की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग हेतु व U.P.S.C एवं H.P.S.C की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 20000 रु से 100000 रु तक
- 7 शागुन योजना** - इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत अविवाहित पुरुष श्रमिक की स्वयं की शादी व श्रमिकों के दो लड़कों की शादी हेतु शागुन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 3 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ-21000 रु
- 8 कन्यादान योजना** - इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत अविवाहित महिला श्रमिक की स्वयं की शादी व श्रमिकों की 3 लड़कियों तक की शादी हेतु कन्यादान स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 3 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 51000 रु
- 9 तिपहिया साईकिल योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में अपंग श्रमिकों व उनके आश्रितों को तिपहिया साईकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 7000 रु
- 10 श्रवण मशीन योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 10000 रु
- 11 चश्मा योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में नजर के चश्मे बनवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 1500 रु
- 12 डेंटल केयर सहायता योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डेंटल केयर/पूर्ण जवड़ा लगवाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 4000 रु से 10000 रु तक
- 13 प्रसूति योजना** - इस योजना के तहत स्वयं महिला श्रमिक व पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को दो लड़कों या तीन लड़कियों तक पैदा होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 12000 रु से 15000 रु तक
- 14 अपंगता योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा : निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ- 1 लाख रु से 3 लाख रु तक
- 15 श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों के लिए योजना** - इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों (अपंग, मदबुद्धि) (Mentally Disorder), मूक तथा बधिर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है, (अपंगता-70% से शुरू) वित्तीय लाभ- 20000 रु से 30000 रु तक
- 16 श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा को विकसित करने वाले योजना** - इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के बच्चों को सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से इनाम के तौर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है, वित्तीय लाभ- 2000 रु से 31000 रु तक
- 17 कृत्रिम अंग योजना** - इस योजना के तहत अपंग श्रमिकों को कृत्रिम अंग खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है साकेत अस्पताल चन्दी मन्दिर पंचकुला की दर अनुसार
- 18 श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने वाले योजना** - इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से इनाम के तौर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है, वित्तीय लाभ-2000 रु से 31000 रु तक
- 19 मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों के लिए विधवा सहायता योजना** - इस योजना के तहत किसी भी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर विधवा/आश्रित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा : निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ- 3 लाख रु
- 20 मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों के लिए दाह संस्कार योजना** - इस योजना के तहत किसी भी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर विधवा/आश्रित को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा : निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ- 15000 रु
- 21 मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक योजना** - इस योजना के तहत संस्था में कार्य के दौरान मृत्यु होने पर विधवाओं/आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा : निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ- 5 लाख रु
- 22 मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना** - इस योजना के तहत पुरुष तथा महिला श्रमिकों को कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाण में उल्लेखनीय योगदान हेतु पुरस्कृत किया जाता है
सेवा अवधि : 3 वर्ष, वेतन सीमा : ₹ 27000 तक वित्तीय लाभ- 51000 रु से 2 लाख रु तक
- 23 श्रम कल्याण केन्द्र योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों की पत्नियों व लड़कियों को श्रम कल्याण केन्द्रों में कपड़े की सिलाई, कटाई, कढ़ाई तथा बुनाई आदि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा : निर्धारित नहीं है, वित्तीय लाभ- 5000 रु
- 24 श्रमिक कल्याण पुरस्कार योजना** - इस योजना के तहत श्रमिकों को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवाने वाले प्रबंधकों को "श्रमिक कल्याण पुरस्कार" से सम्मानित किया जाता है
सेवा अवधि : निर्धारित नहीं है, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ- 51000 रु से 2 लाख रु तक
- 25 खेल-कूद प्रतियोगिताएं योजना** - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए पंडल स्तर तथा राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है तथा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले श्रमिकों को दाढ़ी/बैडल व RTGS के माध्यम से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है
सेवा अवधि : 1 वर्ष, वेतन सीमा निर्धारित नहीं है वित्तीय लाभ - विजेता खिलाड़ियों को इनाम की राशि

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक अंत्योदय भवन, सरल केन्द्र तथा विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

योजनाओं से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए पते पर सम्पर्क करें।

कार्यालय पता:
श्रम कल्याण अधिकारी

डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद
Ph : 0129-2480277
Website: www.hrylabour.gov.in
E-mail: lwofaridabad@gmail.com

कार्यालय पता:
उप-श्रम आयुक्त (कल्याण)

कमरा नं. 408, चौबी मंजिल, लघु सचिवालय, गुरुग्राम
Ph : 0129-2480277
Website: hrylabour.gov.in
E-mail: dlcwgurugram@gmail.com